

10. Main Sources of revenue of the Mauryan State  
Sources of Income & Expenditure of the Kautilyan  
State or ancient India.

Ans → मौर्य साम्राज्य के आय के साधन अनेक वि-  
धात से लेकर तला मछली तक प्रत्येक चीज जो बाहर में  
लाये जाते थे उनपर कर वसूल किया जाता था और बाहर  
के दरवाजे पर उनपर मोहर मार दिया जाता था। कौटिल्य ने  
आय के साधनों को उनके स्रोत के आधार पर विभिन्न  
भागों में बांटा है। राज्य का आय था तो जीवन के राजस्व  
(पार्षीव) या भूमि राजस्व के अलावा दूसरे चीजों  
(अपार्षीव) से होता था। भूमि राजस्व की आय का मुख्य  
स्रोत था। भूमि राजस्व का दर वाँ भाग से लेकर जखरत के  
समय ३ वाँ भाग के बीच में होता था। भूमि राजस्व का दर  
भाग से लेकर जखरत के समय ३ वाँ भाग के बीच में होता था।  
कौटिल्य के अनुसार भूमि राजस्व कर उपज का ६ वाँ भाग  
होना चाहिए, लेकिन जमीन यदि उपजाऊ नहीं हो तो यह  
कम हो सकता है। कौटिल्य के अभिशासन से यह भी ज्ञात  
होता है कि राज्य का यह प्रयत्न रहता था कि परती  
जमीन पर भी खेती किया जाय।

जलकर अर्थात् सिंचाई कर. अर्थात् मार्गकर या  
हाट में बेचने वाले सामान पर कर एवं चुंगी आदि भी  
साधारणतः भूमिकर में ही आ जाते थे।

मौर्यकाल की आर्थिक पद्धति बहुत उन्नत स्तर  
में थी। कर पद्धति भी काफी भारी एवं पेचीदा थी। भूमिकर  
के अलावा बहुत से अन्य कर जैसे बालि, पिंडकर आदि थे।  
लेकिन इनका वास्तविक अर्थ अभी तक हमें पता नहीं चलता  
है। बालि के अर्थानुसार राजा द्वारा किसानों से लिये गये  
पुष्प अनियमित कर आते थे। भारतीय कर पद्धति का  
जन्म राजा के अधिकारों एवं कार्यों में वृद्धि का प्रतीक  
है। एम. एम. जोषाल के अनुसार आतिथिक से कर  
जो अर्थात् अभिशासन में उसके ठहरे भाग के



के रूप में वर्णित है शिंघाई कर के रूप में लिया जाता था। लेकिन चौपाल के अनुसार केवल पट्टी कर निश्चित रूप से उपज में से राजा द्वारा लिया जाता था। मद्रस्वामि ने पिंडकर को पूरे गाँव पर लगाया गया मान्य कर कहा है जो साल में एक बार वसूल किया जाता था अन्य करों के मध्य "कर" और "प्रतिकर" का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में कहा गया है कि समाहता उसे गाँव से वसूल करता था और इसके बारे में उसे "कर" पुस्तिका में अलग से उल्लेख करना पड़ता था। कीर्त्य के स्रोत के आधार पर आय के स्राधनों को विभिन्न भागों में बाँटा है जो निम्नीलिखित है —

- |        |           |                                                                  |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| (i)    | राष्ट्र   | राज्य से आय                                                      |
| (ii)   | सील       | राजा की भूमि से आय                                               |
| (iii)  | भाग       | निजी भूमि से आय                                                  |
| (iv)   | बली       | जमीन से प्राप्त विविध आय जो धार्मिक कार्यों के लिए लिया जाता था। |
| (v)    | कर        | अनेक नगदी आय                                                     |
| (vi)   | तट और नाव | नाव, जहाज एवं नदी में पार जाने पर लिये जाने वाले कर से आय        |
| (vii)  | वर्तम     | सड़क एवं चुंगी से आय                                             |
| (viii) | खनी       | खदानों से आय                                                     |
| (ix)   | दुर्ग     | शहर से आय                                                        |
| (x)    | वन        | जंगल से आय                                                       |
| (xi)   | नदी पाल   | नदी अध्यक्ष को देने वाले कसेम                                    |
| (xii)  | पट्टन     | शहर के बाजार में दिये जाने वाले कर                               |
| (xiii) | विविध     | से आय                                                            |
| (xiv)  | विविध     | चारागाह कर से आय                                                 |
| (xv)   | रज्ज      | ज्यवस्था अध्यक्ष को बसने पर दिये गये कर से आय                    |
| (xvi)  | मौर रज्ज  | चौकीदारी या पुलिस कर से आय                                       |



नगरों से आय के स्रोत इसके अतिरिक्त भी ये जैसे आर्थिक  
 दंड, नाप तौल का लाइसेंस, पासपोर्ट जारी करने का फीस  
 जेल, जुआघर एवं कसाई खाना से आय, नमक गेटकर,  
 चुंगी और व्यवस्था कर। इसके अलावे नशीले  
 पदार्थ की विक्री से आय विभिन्न जानवरों एवं मवेशियों  
 पर कर आदि से भी राज्य कोष को आय था। इसके  
 अतिरिक्त बाहर से भनाए जाने वाले आराम के साधनों  
 पर काफी आधिकार कर वसूला गया था। राजा को  
 दिये गये उपहार भी आय के एक प्रमुख स्रोत थे  
 महस्वामी के अनुसार "उत्संग" नगर एवं ग्रामवासीयों  
 द्वारा किसी खुशी के मौके पर जैसे राजकुमार के जन्म  
 आदि पर राज्य को उपहार दिया जाता था। "औपमन्य"  
 एवं अवर्णित कर है। "पश्व" अधिक लाभ देने पर लिया  
 जाता था। "कीठेयक" जैसे जमीनों पर कर था जो  
 राज्य द्वारा वसूले गये नहर, कुआँ आदि के पास होता था।  
 "परिहक" मवेशियों द्वारा राजा के खेत की क्षति  
 पुष्टाने पर लिया था।

कौटिल्य ने आय के स्रोतों को विभिन्न स्थानों  
 में बाँटा है, जिसे फिर 67 भागों में बाँटा गया है।

(1) दुर्ग — (कलावंत शहर) में 22 सामग्रीयें हैं— चुंगी,

दंड, तौल, नाप और गेट पर लिये जाने वाले विभिन्न कर

(ii) राष्ट्र में 93 सामग्रीयें हैं। जिनसे मुख्य वील, चार्जि  
 करें एवं नगद करे हैं।

(iii) 92 प्रकार के खदान — स्वर्ण, चाँदी, हीरा, कीमती पत्थर  
 लौहा, नमक, मोती, मूँगा, कौड़ी या शंख आदि।

(iv) 5था 6 प्रकार के सिंचाई के साधन।

(v) 3 प्रकार के जंगल।

(vi) 8 प्रकार के भेषी

(vii) 2 प्रकार के व्यापार मार्ग (वणिज्य पथ)

इसी प्रसंग में उसने स्रोतों की एक दौरी  
 सूची का भी उल्लेख किया है।



(1) (1) मूल — (लाभ के लिए लगाया गया धन)

(2) भोज — (राजा का निवास)

(3) न्याजी — (क्षीति पूर्ण)

4) परिषद — (करवाजा वन्द)

5) किल्ला — (निर्णयित कर)

6) स्वीपक — (अलग)

7) अत्यय — (आर्थिक दंड)

8) सील — (खेत का उपज)

9) बली — (राजा का शरीर)

10) वस्तुक — (नगर के गृहों पर कर)

11) सेवाभूक — (सेना के लिए भोजन)

12) उत्संग — (निर्णयित निरूपण)

13) पार्श्व — (अधिक निरूपण)

14) कर — (अधीन पर लिया जाने वाला कर)

15) सदमात्र — (दो वां भाग)

8 (1) बीजों के पिकी पर कर एवं आयत की निर्यात पर कर

(2) सड़क कर, नहरकर, नदी में पार उतरने का कर, डाने जाने पर कर, कुंगी एवं पासपोर्ट फीस

(3) कारीगर एवं मल्लाहों पर कर

4) वैश्या, जुआ, कराई खाना, धन एवं एकाधिकारणा

5) व्यापारियों न्यायालयों से दंड,

6) आकस्मिक आय

7) श्रम पर न्याय एवं अन्य कर

विभिन्न स्रोतों से जमा किये गये धन राजा की शान कायम रखने, राज्य की सुरक्षा रखने और राज्य द्वारा अन्य कर्मों में खर्च किये जाते थे।

विभिन्न लिखित कार्यों पर अधिक व्यय होता था —

(i) राजमहल का निर्वाह

(ii) धार्मिक जगहों का निर्वाह

(iii) अधिकारियों का वेतन



- (IV) सेना और नौ सेना का निर्वाह  
 (V) खदान और कार्यालयों का निर्वाह  
 (VI) मजदूरों का निर्वाह  
 (VII) किसानों का निर्वाह  
 (VIII) विधवाओं, शारीरिक रूप से विवक्षितों एवं अनाथों का निर्वाह  
 (IX) मृत अधिकारियों के सम्बन्धियों का भत्ता  
 (X) लोक निर्माण एवं सड़कों, नहरों, आदि की रक्षा।

खेती के विकास के लिए काफी पैसा खर्च किया जाता था। अकाल के समय भूण दिये जाते थे। राज्य के कार्यालयों पर लिखे लिये गये खर्च के बारे में कौटिल्य ने वर्णन किया है। विविध अधिकारियों के वेतन का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में है। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, मिठाखाना, मठ, मंदिर आदि की और भी राज्य ध्यान देती थी।

अधिक व्यय लोक निर्माण के कर्मों पर होता था। मिठाखाना द्वारा मिठा समी जखरतमंड व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। मौर्यकाल में यज्ञियों के लिए सड़क के किनारे आरामगृह एवं राज्यभर में आदमी एवं भविष्यी का अस्पताल बसा हुआ था। नहर, तालाब, कुओं एवं सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण प्रायः राज्यके द्वारा किया जाता था। अकाल, आगजनी, आदि के समय राज्य की ओर से सहायता कधि किये जाते थे। पौरी गधे माल प्राप्त न होने पर मालिक को राज्यकोष से उध माल की कीमत मिल जाता था। काफी मात्रा में धन युद्ध राजकुमार के जन्म आदि अवसरों पर खर्च किया जाता था।

हमारे स्त्रोतों में राज्य के व्यय के सम्बन्ध में कमवद् उल्लेख नहीं है। इस बात पर सबों ने सहमति है कि असाधारण समयों में राजकोष खाली नहीं होना चाहिये। लड़ाई के लिए सतत तैयार के चलते एक सेना की जखरत थी जिस पर काफी



रखी थी। अर्थात् अर्थशास्त्र में न्याय का उल्लेख केवल राज्यकोष  
में आये धन का किया गया है। लेकिन कौटिल्य और  
मेगास्थनीज के अनुसार शहर की नगरपालिकाओं के आय  
का स्रोत अलग था और उसी प्रकार गाँव का आय  
गाँव के विकास के लिए जिम्मेदार था। राज्य की मदद  
भी उसे मिलता था। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए  
राज्य शिक्षकों एवं विश्वविद्यालयों को समुचित धन  
देता था। राज्य के वीरों को नौकरी एवं पूरे, वीर  
एवं जरूरत में वृत्तियों को आयुक्त प्रदान करता  
था और यह राज्यकोष पर एक बहुत बड़ा भार था।